आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ—226001
website : http://www.upavp.com, E-mail : upavp@sancharnet.in

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठायें
अन्तिम तिथि 28.02.2012 तक आवेदन करें !

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में आवंटित समस्त प्रकार की आवासीय सम्पत्तियों (आवंटन पद्धति से एवं नीलामी पद्धति से आवंटित), किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासीय सम्पत्ति, ग्रुप हाउसिंग की सम्पत्तियों, समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबुल संस्थाओं का रियायती दर पर आवंटित सम्पत्ति तथा समस्त प्रकार की व्यवसायिक, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने हेतु **वन टाइम सेटलमेन्ट योजना 28 फरवरी 2012 तक के लिए लागू की गयी** एवं **स्टाम्प शुल्क की छूट की समय सीमा को दिनांक 31.03.2012 तक बढ़ा दिया गया है।** अतएव परिषद के समस्त आवंटियों को सूचित किया जाता है कि परिषद के आवंटन मूल्य पर स्टैम्प शुल्क की देयता के साथ ओ.टी.एस. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय पर नियत अवधि के अन्दर आवेदन जमा करके प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन—पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (₹)	ओ.टी.एस. आवेदन—पत्र के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (₹)	अभ्युक्ति
1.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन / भूखण्ड	100 / —	5,000 / —	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि आगणित लागत / देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी। परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ.टी.एस. का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित न किया जायेगा।
2.	एल.आई.जी. भवन / भूखण्ड	500 / —	10,000 / —	
3.	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिक्सड लैण्डयूज की सम्पत्तियों तथा व्यवसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	1,000 / —	25,000 / —	
4.	ग्रुप हाउसिंग	5,000 / —	1,00,000 / —	
5.	संस्थागत सम्पत्तियाँ	5,000 / —	1,00,000 / —	
6.	क्रम संख्या—3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	5,000 / —	1,00,000 / —	

एकमुश्त धनराशि जमा करने पर समाधान योजना के अन्तर्गत छूट का प्रावधान।

• अतिरिक्त/दण्डब्याज से पूर्ण मुक्ति। • मूल्य की गणना साधारण ब्याज पर। • आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निस्तारण। • साठ दिनों में दो भागों में बकाया धनराशि को जमा करने की सुविधा।

आवेदन—पत्र के साथ आवंटन की फोटोप्रति एवं पता लिखे 2 लिफाफे संलग्न करना होगा। नियत अवधि **28 फरवरी, 2012** के बाद कोई भी ओ.टी.एस. आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदक सम्पत्ति प्रबंध कार्यालयों में पूर्व से ही प्राप्त उपलब्ध प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।

सर्किल दर से स्टैम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठायें दिनांक 31.03.2012 तक परिषद के मूल्य पर सम्पत्ति का निबंधन करायें।

आवास आयुक्त